प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 12 जनवरी, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से मेरठ मण्डल के विभिन्न जनपदों के 20 चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-2600/CE-HQ-1/RSN 3054/MRT/2022-23, दिनांक 27.12.2022, पत्र संख्या-2616/CE-HQ-1/RSN 3054/MRT/2022-23, दिनांक 28.12.2022, पत्र संख्या-2637/CE-HQ-1/RSN 3054/MRT/2022-23, दिनांक 29.12.2022 एवं पत्र संख्या-2676/CE-HQ-1/RSN 3054/MRT/2022-23, दिनांक 03.01.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार मेरठ मण्डल के विभिन्न जनपदों के 20 चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 9,03,49,000/- (रूपये नौ करोड़ तीन लाख उनचास हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रा.ख. मेरठ	कौल मुण्डाली नगलामंल मार्ग किमी0-2 से अजराडा लिंक मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	358/2021/1186 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0-2- दिनांक-17-12-2021	40.50	9.11	1.39	30.00	30.00
2	प्रा.ख. मेरठ	मेरठ परीक्षितगढ आसिफाबाद मार्ग।	307 /2022/625 रासनि/23-1-2022/003-41 आरएसएन/2022 टीसी-दिनांक-06-10-2022	235.81	117.91	0.17	117.73	117.73
3	नि.ख.-2 गाजियाबाद	टीला शाहबाजपुर से मण्डोला मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	257/2021/984 रासनि/23-1-21-03 रासनि/21 टी0सी0- दिनांक-02-11-2021	91.16	65.54	10.25	15.37	15.37
4	नि.ख. मेरठ	लावड़ जलालपुर उलखपुर सैनी की विशेष मरम्मत का कार्य	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2- दिनांक-07-01-2022	125.69	12.57	0.00	113.12	65.00
5	प्रा.ख. मेरठ	गढ़-मेरठ-बागपत-सोनीपत मार्ग (शहरी/अन्य जिला मार्ग) के चैनेज 48.750 से 53.600 की मरम्मत/सुधारकाकार्य।	38/2020/535 रासनि/23-1-20-43 रासनि/20-दिनांक-18-02-2020	488.44	475.23	2.00	11.21	11.21
6	प्रा.ख. मेरठ	बहसूमा चांदपुर ठाकुर द्वारा,	93/2021/561 रासनि/23-1-21-51	214.28	166.5	10.28	37.5	37.5

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		जसपुर मार्ग	रासनि/20-दिनांक-15-03-2021					
7	प्रा.ख. मेरठ	मेरठ-बदायंू मार्ग के किमी0-20 खरखौदा से उलघन मार्ग के किमी0-1 में विशेष मरम्मत के अन्तर्गत सी0सी0 एवं नाली निर्माण का कार्य।	358/2021/1186 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0-2-दिनांक-17-12-2021	46.79	33.72	1.62	11.45	11.45
8	प्रा.ख. मेरठ	मवाना फलावदा से खाता मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य	358/2021/1186 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0-2-दिनांक-17-12-2021	45.94	39	1.54	5.40	5.40
9	प्रा.ख. मेरठ	मेरठ पौड़ी मार्ग से सिखैड़ा मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य	358/2021/1186 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0-2-दिनांक-17-12-2021	110.1	99.96	3.54	6.60	6.60
10	प्रा.ख. मेरठ	फकरपुरकबटा से नयागांवसम्पर्कमार्ग की विशेषमरम्मतकाकार्य।	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2-दिनांक-07-01-2022	50.45	46.41	2.05	1.99	1.99
11	प्रा.ख. मेरठ	खरखौदा से खासपुरसम्पर्कमार्ग की विशेषमरम्मतकाकार्य।	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2-दिनांक-07-01-2022	40.28	35.55	1.89	2.84	2.84
12	प्रा.ख. मेरठ	मवाना किठौर हापुड़ रोड (राज्य मार्ग सं0-14) से अतराडा से बबनपुरामार्ग की विशेषमरम्मतकाकार्य।	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2-दिनांक-07-01-2022	55.02	50.84	1.98	2.20	2.20
13	प्रा.ख. मेरठ	मवाना किठौर हापुड़ मार्ग (रा0मा0-118) के सठला आबादी भाग में स्थित पुलिया का निर्माण का कार्य	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2-दिनांक-07-01-2022	55.77	48.95	1.73	5.09	5.09
14	प्रा.ख. बागपत	धौली प्याऊ-चमरावल-सिंघावली पावर हाऊस-बुढ़सैनी मार्ग के किमी0-1 से 23(400) तक मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	314/2021/1277 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0-2-दिनांक-30-11-2021	264.94	158.96	0.00	105.98	103.82
15	प्रा.ख. बागपत	डौला-हिसावदा-बुढ़सैनी-पूरामहादेवा मार्ग के किमी-10 (चैनेज 9.250 से 9.300), 13(चैनेज 12.770 से 13.000) के आबादी भाग ग्राम बढ़सैनी तथा पुरामहादेवा में सी.सी. व नाली की विशेष मरम्मत का कार्य	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2-दिनांक-07-01-2022	53.96	48.62	0.00	5.34	5.34
16	प्रा.ख. बागपत	टाण्डा से बौढ़ा मार्ग (आबादी भाग 200 मी0 में सी.सी. एवं शेष 2.80 किमी में पी0सी0) की विशेष मरम्मत का कार्य	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2-दिनांक-07-01-2022	48.64	32.2	0.04	16.40	16.40
17	प्रा.ख. बागपत	ककड़ीपुर से किरठल मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2-दिनांक-07-01-2022	53.28	25.93	0.08	27.27	27.27
18	प्रा.ख. बागपत	जनपद बागपत में दोघट से हिम्मतपुर सुजली मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2-दिनांक-07-01-2022	47.49	23.12	0.05	24.32	24.32
19	प्रा.ख. बागपत	ओपुरा बाईपास रोड से मिलाना पट्टी बंजरान (चैनेज 2.700 से 2.800 एवं 3.380 से 3.460 तथा	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2-दिनांक-07-01-2022	61.39	29.88	0.10	31.41	31.41

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3.600 से 3.700 सी.सी. एवं शेष भाग में पी0सी0) का कार्य						
20	नि.ख.-2 गाजियाबाद	दिल्ली मेरठ मार्ग (राज्य मार्ग सं0-117) कि0मी0 9 से 15(650) तक एवं कि0मी0 18(180) में मार्ग की मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य।	333/2021/1141 रासनि/23-1-21-39 रासनि/20-दिनांक-07-12-2021	884.62	445.77	56.30	382.55	382.55
							कुल योग-	903.49

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2023 तक कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक उपलब्ध करा दिया जाय । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्य के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए सम्बन्धित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रायोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पदित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके । यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिर्वतन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्यो की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 9,03,49,000/- (रूपये नौ करोड़ तीन लाख उनचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक "3054043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-76/2023/14रासनि(1)/23-1-23/007-21RSN-2022टीसी, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।

2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3-जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

4-मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

5-मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।

6-संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।

7-वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

8-वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

9-वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

10-लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।

11-.नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

12-गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।